93

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 993—एक/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 24—11—2006 के द्वारा पारित अतिरिक्त कमिश्नर सागर, संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 800/अ—27/2004—05/निगरानी

.....

बालकुंबर पुत्री लक्ष्मणसिंह,
निवासी —ग्राम बड़खेरा तहसील बड़ा मलहरा
जिला— छतरपुर म0प्र0

.....आवेदिका

विरूद्ध

1— मानकुंबर पुत्री लक्ष्मणसिंह
2— ममतादेवी पुत्री लक्ष्मणसिंह
निवासीगण —गोकुलपुरा तहसील गरोठा
जिला— झॉसी, उ0प्र0
3— रामकली बेवा लक्ष्मणसिंह,
निवासी —ग्राम बड़खेरा तहसील बड़ा मलहरा
जिला— छतरपुर म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री इन्द्रकुमार मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2
पूर्व से एकपक्षीय अनावेदक क्र0 1 व 3

.....

आदेश

(आज दिनांक 5—10—2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 800/अ—27/2004—05/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24—11—2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम बड़खेरा तहसील बड़ामलहरा जिला छतरपुर में स्थित भूमि खसरा कमाक 147/2, 151, 194, 203, 261, 271, 289/2, 262, 383, 331/2 कुल

रकबा 10 रकवा 3.709 है0 भूमि शमिल खाते में आवेदक एवं अनावेदक के नाम से राजस्व अभिलेख में इन्द्राज थी। जिसके बटवांरा किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र आवेदक बालकुंबर ने तहसीलदार बड़ामलहरा के न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए तहसीलदार ने आदेश दिनांक 28.10.04 द्वरा बटवारा आवेदन स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक 1 व 2 मानकुंबर, व ममतादेवी ने अनुविभागीय अधिकारी, के समक्ष अपील पेश की, जो आदेश दिनांक 31.08.05 द्वारा निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र. 1व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की, जो अतिरिक्त कमिश्नर सागर ने अपने आदेश दिनांक 24.11.06 द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया। अतिरिक्त कमिश्नर सागर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक, अनावेदक क्र0 1 व 2 के पिता क्र0 3 के पति लक्ष्मणसिंह की बटवांरा आदेश के लगभग 20 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी, तब अनावेदक 1 व 2 की शादी नहीं हुई थी, अनावेदक क्र0 3 रामकली के पास कृषि के अलावा और कोई सम्पति नहीं थी। जिससे अनावेदक 1 व 2 मानकुंवर व ममतादेवी का विवाह सम्पन्न कराया जा सके । आवेदक बालकुंवर बड़ी बहिन थी, उसकी शादी हो गई थी। उसने अपने पति के सहयोग से कर्जा लेकर अनावेदक मानकुंवर व ममतादेवी का विवाह सम्पन्न कराया था दोनों ने विवाह के पूर्व सहमति दे दी थी। वर्तमान में राजस्व अभिलेख में आवेदक एवं अनावेदकगण का शामिल खाते में राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होने से आवेदक ने संहिता की धारा 178 के तहत तहसील में आवेदन दिया था । जिस पर प्रकरण दर्ज कर विधिवत इश्तहार प्रकाशन किया गया । अनावेदकगण मानकंवर, ममतादेवी, रामकली तीनों के द्वारा अपने शपथ–पत्र आवेदक बालकुंवर के पक्ष में नोटरी से प्रमाणित कराकर वाद भूमि आवेदक बालकुंवर के पक्ष में अंकित करने में अपनी सहमति दी गई, पटवारी रिर्पोट भी ली गई । इस प्रकार सभी की सहमति से बटवारा के अनुसार अकेले आवेदक बालकुंवर के नाम वाद भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के तहसीलदार द्वारा आदेश दिये गया । अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने तहसील आदेश के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश कर निवेदन किया कि तहसील न्यायालय में जो शपथ–पत्र पेश हुये है वह उनसे धोखे से करा लिये है, जबकि उनका हिस्सा 1/4, 1/4 है,

जिसे दिलाया जाये। अनुविभागीय अधिकारी ने विस्तृत व्याख्या करते हुये आदेश पारित कर अपील निरस्त की । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील की । अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 178 के नियमों का हवाला देते हुये तहसील न्यायालय व एस0डी0ओ0 का आदेश त्रुटिपूर्ण बताया । जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि जब अनावेदकगण द्वारा स्वयं सहमति के शपथ–पत्र संपादित किये थे, तब उस स्थिति में बटवारा नियमों का उक्त प्रकरण में प्रश्न निहित नहीं था। तहसीलदार द्वारा आवेदक व अनावेदकगण सभी सहखातेदारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात अनावेदकगण की सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया गया है, जिसे प्रथम अपीली न्यायालय द्वारा स्थिर रखा गया है । ऐसी स्थिति में अतिरिक्त कमिश्नर सागर द्वारा दोनों न्यायालयों तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है । अतिरिक्त कमिश्नर सागर का आदेश दिनांक 24.11.06 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31.08.05 एवं तहसील न्यायालय का आदेश, दिनांक 28.10.04 यथावत रखे जाते है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर